बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

Covid -19 वायरस के बढ़ते संक्रमण की स्थिति से निपटने हेतु राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित सभी राशन कार्ड धारियों के अलावा वैसे परिवार जो राशन कार्ड के लिए अहर्ता रखते हैं पर उनके पास अभी राशन कार्ड नहीं है को जीविका, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चिन्हित करते हुए सूची तैयार की जा रही है। अबतक 7.7 लाख परिवारों की सूची तैयार की जा चुकी है, जिनको कोरोना सहायता के रूप में रूपये 1000/– प्रति परिवार दिये जाने हेतु e-PDS Portal में प्रविष्टि किया जाना है। इस सन्दर्भ में निम्नलिखित आदेश दिये जाते हैः–

1. e-PDS Portal में प्रविष्टी हेतु आधार के अनुसार नाम एवं आधार नम्बर, बैंक खाता संख्या एवं बैंक आई0एफ0सी0 कोड शीर्ष को हीं अनिवार्य प्रविष्टि माना जाय।
2. अब तक प्राप्त आवेदनों को e-PDS Portal में अंकित हेतु आधार के अनुसार आवेदक का नाम लिखा जाना अनिवार्य है, इसके लिए आवश्यक है की मुख्य आवेदक के आधार कार्ड की छायाप्रति को संग्रहित किया जाय एवं e-PDS Portal में प्रविष्टि शुरू किया जाय।
3. दिनांक 25.04.2020 से जीविका के द्वारा नये प्रपत्र " जन वितरण प्रणाली से छूटे हुए परिवार की सूचना" (प्रति संलग्न) पर सूची तैयार की जाय एवं अनुलग्नक के रूप में आवेदक एवं परिवार के अन्य व्यस्क सदस्य का आधार कार्ड का छायाप्रति लिया जाना अनिवार्य होगा।
4. बैंक पासबुक या अन्य दस्तावेज (आधार के अलावे) की छायाप्रति अनिवार्य नहीं होगी।
5. जीविका द्वारा आधार की छायाप्रति के साथ नये प्रपत्र एवं अबतक तैयार प्रपत्र 28.04.2020 तक संग्रहित कर अनुमंडल पदाधिकारी को समर्पित की जाय एवं इसकी सूचना संबंधित जिला पदाधिकारी को दी जाय।

24/04/2020

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जीविका, ग्रामीण विकास विभाग
बिहार, पटना।

24/04/2020

सचिव
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– प्र06विविध–32/2011 1779 खाद्य, पटना/दिनांक 24/04/2020

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक।

ज्ञापांकः– प्र06विविध–32/2011 1779 खाद्य, पटना/दिनांक 24/04/2020

प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बिहार/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका, बिहार, पटना/श्री शैलेश सिन्हा, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक।

जन वितरण प्रणाली से छूटे हुए परिवार की सूचना प्रपत्र

जिला : प्रखंड : पंचायत :

राजस्व गाँव का नाम : वार्ड नंबर :

1.परिवार के मुखिया का नाम (आधार अनुसार) :

श्रेणी (सामान्य/पिछडा/ अति पिछडा/ अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति :

2. बैंक से जुड़ा आधार नंबर : 3. जन्म का वर्ष:

4. बैंक से जुड़ा मोबाइल नंबर:

5. बैंक का नाम :

6. बैंक शाखा IFSC कोड :

7. आधार लिंक बैंक खाता संख्या :

8. आवेदक के पति/ पिता का नाम :

9. सदस्यों का विवरण :

क्रं सं.	सदस्य का नाम (आधार के अनुसार)	आधार	जन्म का वर्ष	लिंग	परिवार के मुखिया से *सम्बन्ध*

में प्रमाणित करता /करती हूँ कि मेरे परिवार में कोई भी सदस्य जन वितरण प्रणाली से लाभान्वित नहीं हैं |

आवेदक का हस्ताक्षर

ग्राम संगठन का नाम :

समूह का नाम (अगर जुड़े हुए है) :

कैडर का नाम एवं हस्ताक्षर : मोबाइल नंबर: